न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- हरि राम मीना आर.ए.एस.

अपील संख्या:-48/2021

सी.सी.एम.एस. संख्या:-2021/106

(223 आर.टी.एक्ट)

बनाम

1. रेखा पत्नि बृजमोहन जाति बैरवा
2. सपना पुत्री बृजमोहन जाति बैरवा
3. सजना पुत्री बृजमोहन जाति बैरवा निवासीयान भावड़ तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

......अपीलार्थीगण।

बनाम

1. शिवराम पुत्र बदरी जाति बैरवा निवासी भावड तहसील बामनवास।
2. राजन्ती पुत्री बदरी पत्नि ग्यारसी बैरवा निवासी गुढली तहसील नादौती जिला क[illegible]
3. गिंदोडी पुत्री बदरी पत्नि जगदीश जाति बैरवा निवासी कालपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
4. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बामनवास।

....रेस्पोण्डेन्टगण।

उपस्थित:-

1. श्री योगेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. रेस्पोंडेन्ट/अधिवक्ता अनुपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक: 13.01.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 15/201[illegible] शिवराम बनाम लेण्ड होल्डर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक [illegible] काश्तकारी अधिनियम 195[illegible] है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इ[illegible] 01 द्वारा एक वाद [illegible] खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का [illegible] का पेश किया कि [illegible] भावड में आराजी हाल खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.83 है0, 1031 रकबा 1.7[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

1033 रकबा 0.85 है0, 1034 रकबा 0.40 है0, 1036 रकबा 0.85 है0, 1037 रकबा 0.85 है0, 1038 रकबा 1.63 है0, 1039 रकबा 1.42 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 8.61 है0 बदरी व अन्य सहखातेदारान की भूमि रही है, जिसमें बदरी का हिस्सा 1/3 रहा है। बदरी द्वारा दिनांक 12.09.2014 को वादी के पक्ष में अपने स्वयं के हिस्से की भूमि में से 2.50 है0 भूमि की वसीयत करके उसे रजिस्टर्ड करा दिया। बदरी के निधन के पश्चात् वादी द्वारा पटवारी हल्का व तहसीलदार को उक्त वसीयत के आधार पर अपने पक्ष में नामान्तकरण खोलने का निवेदन करने पर उन्होनें नामान्तरकण खोलने के लिए सक्षम न्यायालय के आदेश लाने को कहा। वादी ने इसका निवेदन सक्षम न्यायालय में किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2018 को निर्णित कर डिक्री फरमा दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नही किया कि वादी द्वारा कराई गई वसीयत पैतृक सम्पत्ति की है या स्वअर्जित सम्पत्ति की है। विधिअनुसार पैतृक सम्पत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती है केवल स्वअर्जित संपत्ति की ही वसीयत की जा सकती है। उपरोक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण सं0 45/2008 उनवानी रेखा बनाम बदरी दिनांक 17.08.2009 को निर्णित किया जा चुका है। जिसके अनुसार उक्त विवादित आराजीयात बाबत् मातहत अदालत द्वारा अपीलार्थीगण के हिस्से तक उनके उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत् तथा सायलान के हिस्से तक की भूमि को रहन, वय या हस्तांतरण नहीं करने स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, जिसकी रेस्पोडेंटस् को बखूबी जानकारी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 12.04.2018 खारिज योग्य होने से खारिज किया जावे। अपील मीमों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में [illegible] पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर [illegible] किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के [illegible] सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया [illegible] है। इस कारण अपीलाण्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में उदार रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद का गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

7. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजीयात से संबंधित अपीलार्थीगण द्वारा उक्त आराजीयात पैतृक आराजीयात होने से अपना हिस्सा मानते हुए मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बामनवास में दिनांक 07.08.2008 को दावा बाबत् इस्तकरार हक खातेदारी [illegible] दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्म इम्तनाई दावा पेश किया जा चुका है। मातहत अदालत में पेश किये गये वाद पत्र में रेस्पोडेंन्ट 01 ता 03 द्वारा [illegible] जवाब व काउन्टर क्लेम भी पेश किया गया है, जिसमें भी रेस्पोडेन्ट 01 ता 03 द्वारा वादीयागण का 1/4 का हिस्सा माना है। जिससें यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात में अपीलार्थीगण का जायज हिस्सा हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत के निर्णय दिनांक 12.04.2018 को अपास्त फरमाया जावें।

8. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया।

9. रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि अपील मीमों के साथ संलग्न [illegible] मातहत उपखण्ड अधिकारी बामनवास के मुकदमा नम्बर 45/2008 निर्णय 17.08.2008 बउनवान रेखा वगैरह बनाम बदरी वगैरह में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वादग्रस्त आराजीयात एव वर्णित वाद में वादग्रस्त आराजीयात समान है। उपर्युक्त प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सायलान रेखा के पक्ष में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह मूल वाद सं0 68/2008 रेखा बनाम बदरी अदालत मातहत में अभी लम्बित है। अदालत मातहत में रेस्पोडेन्ट द्वारा सही तथ्यों की छिपाकर वाद पत्र पेश किया गया और उसने भी यह प्रतिवादीगण के रूप में जानबूझकर बदरी को पक्षकार नही बनाया जाकर केवल लैण्ड होल्डर को ही पक्षकार बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अदालत मातहत को भी इस तथ्य का संज्ञान स्वतः ही रिकार्ड/रिपोर्ट के माध्यम से [illegible] जाहिर था कि वादग्रस्त आराजीयात के पूर्व में वाद लम्बित है और उसमें [illegible] अपीलांट/प्रार्थीया के पक्ष में मूलवाद के निस्तारण तक [illegible] 15/2018 को पूर्ववर्ती वाद 68/08 के [illegible] चाहिए था। इस आधार पर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी बामनवास का नि[illegible] अपास्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जाहिर था। इस आधार पर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी बामनवास का निर्णय अपास्त योग्य है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी बामनवास के मुकदमा नम्बर 15/2018 बउनवान शिवलाल बनाम लैण्ड होल्डर के तारीख फैसला 12.04.18 को निरस्त किया जाता है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी बामनवास को निर्देशित किया जाता है कि वह इस वादपत्र को पूर्ववर्ती वादपत्र के साथ समेकित कर, कायम तनकीयात, साक्ष्य विवेचना के आधार पर निर्णय पारित करें।

11. यह निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(हरि राम मीणा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner